

**परिवहन निगम मुख्यालय,  
लखनऊ।**

पत्रांक : 4-79/जीएम(एमएमटी)/ लेखा शाखा / 13

दिनांक : 25/7/2013

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक  
उ०प्र० परिवहन निगम

**विषय:-क्षेत्रों के क्रयाधिकार के पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया परिवहन निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 496 प्र०प्र० (एमएमटी) /पी०ए०/2008 दिनांक 22.07.2008 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा वर्ष 2007-08 में माह जुलाई 2007 से क्षेत्रों के क्रयाधिकार को पुनरीक्षित किया गया था। वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष-2012-13 में औसत मासिक किमी० में 13 प्रतिशत की वृद्धि होने तथा स्पेयर पार्ट्स की दरों में वर्ष-2008 की तुलना में वर्ष 2012-13 में हुई 31.6 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष क्षेत्रों के मासिक क्रयाधिकार के पुनरीक्षण किये जाने का अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रदान कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	क्षेत्रों का नाम	वर्तमान में क्रयाधिकार की मासिक व्यय की धनराशि	स्पेयर पार्ट्स के मद्द में प्रस्तावित क्रयाधिकार		प्रस्तावित मासिक क्रयाधिकार की धनराशि (रु लाख में)	गैस एवं मशीनिंग (रु० लाख में)	कुल प्रस्तावित मासिक क्रयाधिकार की धनराशि (रु० लाख में)
			ए०बी० कैटेगरी	सी० कैटेगरी			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	13.05	9.37	5.04	14.41	0.50	14.91
2	गाजियाबाद	11.90	8.85	4.77	13.62	0.50	14.12
3	मेरठ	8.82	8.23	4.43	12.67	0.50	13.17
4	सहारनपुर	8.42	6.46	3.48	9.93	0.30	10.23
5	अलीगढ़	10.92	9.29	5.00	14.29	0.40	14.69
6	मुरादाबाद	8.19	8.45	4.55	12.99	0.30	13.29
7	बरेली	7.45	9.29	5.00	14.30	0.45	14.75
8	हरदोई	6.40	7.48	4.03	11.51	0.30	11.81
9	इटावा	9.45	7.42	4.00	11.42	0.30	11.72
10	कानपुर	10.11	8.28	4.46	12.74	0.47	13.21
11	झाँसी	2.82	2.88	1.55	4.44	0.13	4.57
12	लखनऊ	9.63	8.31	4.48	12.79	0.35	13.14
13	फैजाबाद	6.55	5.89	3.17	9.07	0.21	9.28
14	इलाहाबाद	9.95	7.71	4.15	11.85	0.45	12.30
15	आजमगढ़	7.17	5.97	3.21	9.18	0.30	9.48
16	गोरखपुर	9.42	7.95	4.28	12.23	0.45	12.68
17	वाराणसी	10.22	8.19	4.41	12.60	0.45	13.05
18	चित्रकूट	5.26	5.41	2.91	8.32	0.25	8.57
19	देवीपाटन	3.72	3.66	1.97	5.63	0.14	5.77
	योग:-	<b>159.45</b>	<b>139.09</b>	<b>74.89</b>	<b>213.98</b>	<b>6.75</b>	<b>220.73</b>

अतः उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न मदों में निर्धारित क्रयाधिकार की

धनराशि का उपभोग करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

- (1) टायर शाप के विविध व्यय हेतु रू0 144 प्रति टायर के अनुसार देय धनराशि तथा 5 पैसे प्रति अर्जित कि0मी0 के अनुसार डिपोज को देय धनराशि भी क्षेत्रों को पूर्ववत् प्रेषित की जायेगी।
- (2) क्षेत्रों को स्थानीय स्तर पर क्रयाधिकार निर्गत किये जाने हेतु-प्रति क्रयाधिकार की वर्तमान अधिकतम सीमा रू0 20,000.00 को बढ़ाकर रू0 30,000.00 किये जाने का भी अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रदान किया गया है।
- (3) उपरोक्तानुसार क्रयाधिकार का उपभोग मुख्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित क्रय नियमों तथा स्टोर एवं परचेज मैनुअल के पृष्ठ संख्या 29 एवं 30 में दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा उसका उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रति माह मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(निरंजन कुमार)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक)

पत्रांक (i) समदिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वित्त नियंत्रक उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
- (2) मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
- (3) सम्परीक्षा अधिकारी उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

(निरंजन कुमार)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक)